मसाइले ज़कात

हज़रत मौलाना मुफ्ती

मुहम्मद सलमान साहिब मन्सुरपूरी (दामत बरकातुहुम)

एडिटर महानामा निदाये शाही व
मुफ्तिये जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद की
किताबुल मसाइल जिल्द २ से माखूज़ मसाइले ज़कात का हिंदी तर्जुमा

जामिया खैरुल उलूम, असादाबाद, उदगांव.

गट नं. १०९९, शिरोळ रोड, ता. शिरोळ, ज़ि. कोल्हापूर. (महाराष्ट्र)

जामिया खैरुल उलूम, उदगांव.

मसाइल के सिलसिले मे मुफ्तियाने किराम से रुजू करें

जिम्मेदाराने जामिया :-

मौलाना अहमदुल्लाह साहिब इराणी, उदगांव
मोबा. 8806243767

हाफिज अब्दुस्समद साहिब इराणी, उदगांव
मोबा. 9422614004

मौलाना अब्दुलमजीद साहिब, इचलकरंजी
मोबा. 9822976522

मौलाना अब्दुर्रहमान साहिब, उदगांव
मोबा. 9421108481

हाफिज़ नुरुलहुदा साहिब, मिरज
मोबा. 9860540587

मौलाना नासिर साहिब, उदगांव
मोबा. 8600118836

जनाब दस्तगीर साहिब मेस्त्री,

मुफ्तियाने जामिया :-

मुफ्ती बद्रुद्दीन साहिब, बार्डी
मोबा. 9421030886

मुफ्ती युसुफ साहिब, इचलकरंजी
मोबा. 9689693435

मुफ्ती मुहम्मद साहिब, कोल्हापूर
मोबा. 9975838594

मुफ्ती सिद्दीक साहिब, नवेखेड
मोबा. 9922098249

मुफ्ती ज़ाकिर साहिब, उदगांव
मोबा. 9595701787

मुफ्ती निअमतुल्लाह साहिब इराणी, उदगांव
मोबा. 9503081157

मुफ्ती इरफान साहिब, मिरज
मोबा. 9764062061

खादिमे मदरसा :-

हाफिज़ नसरुद्दीन साहिब 9028760956
जनाब अब्दुलकादर भाई 9270626130

मसाइले ज़कात

हज़रत मौलाना मुफ्ती
मुहम्मद सलमान साहिब मन्सुरपूरी (दामत बरकातुहुम)
एडिटर महानामा निदाये शाही व
मुफ्तिये जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद की
किताबुल मसाइल जिल्द २ से माखूज़ मसाइले ज़कात का हिंदी तर्जुमा

सरपरस्ते जामिया

हज़रत अक्दस मुफ्ती अहमद साहिब खानपूरी (दामत बरकातुहुम)
सदर मुफ्ती व शैखुल हदीस जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन डाभेल(गुजरात)

मोहतमिम

मौलाना अहमदुल्लाह इब्ने हज़रत मौलाना असअदुल्लाह साहिब इराणी

जामिया खैरुल उलूम, असादाबाद, उदगांव.

बिस्मिल्लाहिर्रमानिर्रहीम

जामिया एक नजर में

अल्हम्दु लिवलिय्यिहि वस्स्वलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि अम्माबअ्द।

बिरादराने इस्लाम।

जामिया हाज़ा महज़ अल्लाह के फ़ज़लो करम और उसकी नुसरत पर तक़रीबन ४६ साल से इशाअते सुन्नत,तालीमे दीन,दअ्वत व तब्लीग और तज़कियए नुफ़ूस की खिदमत ब हुस्नो खूबी अंजाम दे रहा है, सभी हज़रात क़ुबूलियत की दुआ भी फ़रमाते रहें।

इस वक़्त जामिया में १७४ तलबा क़ुरआन व हदीस की तालीम और अख्लाक़ी तरबियत हासिल कर रहे हैं, इन तमाम तलबए किराम का खाना पीना और इनकी तमाम ज़रूरियात को मुकम्मल जामिया ही बरदाश्त करता है, दो वक़्त का नाश्ता, दो वक़्त का खाना, माहाना वज़ीफ़ा, नादार व गरीब तलबा के लिये आने जाने का किराया, कपडे, साबुन सर्दा में तमाम तलबा के लिये चादर वगैरा का भी इन्तिज़ाम किया जाता है,ये तमाम सहूलतें तलबा के लिये रखी गई हैं; ताके तलबा यकसूई और इत्मीनान के साथ दुन्यवी ज़रूरियात से बे फ़िक्र होकर इल्मे दीन के हुसूल में लगे रहें।

इस के इलावा नहाने के लिये गर्म पानी,पीने के लिये फ़िल्टर किया हुवा कूलर का ठंडा पानी मुहय्या है, जिस के लिये बडा फ़िल्टर और वाटर कूलर भी लगाया गया है, हत्तल्इम्कान तलबए किराम की तमाम ज़रूरियात मिन् जानिबे जामिया पूरी की जाती हैं।

जामिया के मातहत दो मदरसे शाख के तौर पर चलते हैं, जिस की मुकम्मल तालीमी सरपरस्ती जामिया ही करता है,मदरसा दारुल् उलूम उम्मुल् मुअ्मिनीन बकर क़स्साब मस्जिद मिरज में इस वक़्त ४८ तलबा और मदरसा अहमदिया महमूदिया बद्रुल उलूम चाँद तारा मस्जिद मर्कज में ५४ तलबा क़ियाम व तआम के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं।

नये तलबा से दाखला फ़ीस १५० रुपये के इलावा कोई फ़ीस नहीं ली जाती; अल्बत्ता अगर कोई साहिबे हैसियत आदमी अपने बच्चे को अपनी हैसियत के मुताबिक़ तआम की फ़ीस देकर पढाना चाहे तो बेहतर है, तलबए

किराम के लिये तआम व क़ियाम,इलाज व मुआलजा, बीमार तलबा के लिये डॉक्टर व दवाई वगैरा का खर्च भी इदारा ही बरदाश्त करता है,

इस वक़्त जामिया में २७ असातिज़ा-नीज़ २ अफ़राद पर मुश्तमिल दफतरी अमला और १६ मुलाज़िमीन काम कर रहे हैं, असातिज़ा व मुलाज़िमीन के लिये मअ्क़ूल तनख्वाह के इलावा रहने के लिये मकानात मुफत दिये गये हैं।

जामिया के तमाम अखराजात का दारो मदार नुसरते इलाही और आप हज़रात की दुआ और माली तआवुन पर है, माहे रमज़ान में ज़कात, सदक़ा, फ़ित्रा और बक़रईद में क़ुर्बानी की खालें यही चीज़ें जामिया की आमदनी का ज़रीआ हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़जानए गैब से कफालत फ़र्माकर अपने बंन्दों को तआवुने माली और दुआ की तौफ़ीक़ अता फर्माये, और मददगारों को खूब बरकतों से नवाज़े। आमीन

जामिया की निगरानी में जारी मकातिबः

उदगांव, जयसिंगपूर, आलास, इचलकरंजी, हातकलंगले, बावची, कुंडलवाडी, शेडशाळ, बस्तवाड, बहादुरवाडी, और ढवळी में जामिया की ज़ेरे निगरानी कई मकातिब चल रहे हैं।

मेअ्यारे तालीमः

अल्हम्दुलिल्लाह जामिया में इब्तिदाइ तालीम नाज़रए क़ुरआन, हिफज़ मअ तजवीद व क़िराअत है, और दरजए इल्मियत में उर्दू दीनियात ता दौरए हदीस शरीफ़ तक की तालीम ब निसाबे जामिया डाभेल जारी है, और हर माह के पहले सनीचर को दरजए उर्दू दीनियात, फ़ारसी, अरबी अव्वल, अरबी दुव्वम का माहाना इम्तिहान होता है, इस के इलावा शश्माही व सालाना इम्तिहान भी होते हैं, दरजाते नाज़रा में तालिबे इल्म जब तक क़ुरआने करीम मुकम्मल और सही न करले उस वक़्त तक हिफज़ शुरू नहीं कराया जाता है, दरजए हिफज़ में तालिबे इल्म का पारा खतम पर दफतर में इम्तिहान होता है, कामयाब होने पर ही आगे सबक़ शुरू किया जाता है, तालिबे इल्म की कारकर्दगी को रेकॉर्ड के तौर पर महफ़ूज़ करने के लिये बाक़ायदा कापियाँ छपाई गई हैं, जिस में उस के पूरे क़ुरआने करीम का रेकॉर्ड महफ़ूज़ रहता है। अल्लाह तआला जामिया के तालीमी मेअ्यार को बुलंद से बुलंदतर फर्माये और हर नौअ् की तरक़्क़ियात अता फर्माकर नज़रेबद से हिफ़ाज़त फर्माये। आमीन

उनवान

मसाइले ज़कात

फरीज़ए ज़कात

इरशादाते खुदावंदी हैं:

١) وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ [البقرة/٣]

٢) وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ [النساء/٣٩]

٣) وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ [فاطر/٢٩]

٤) وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا [النحل/٧٥]

٥) وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً [ابراهيم/٣١]

٦) وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ [الانفال/٣]

٧) وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ [حج/٣٥-القصص/٥٤-السجده/١٦-الشورى/٣٨]

٨) وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ط [حديد/٧]

इन जैसी आयात में अल्लाह तआला ने आगाह किया है । के ज़कात वगैरा का हुक्म कोई टॅक्स नहीं के उसे भारी समझा जाये, बल्के ये तो अल्लाह तआला अपनी ही दी हुई एक अमानत तुम से मांग रहा है, लिहाज़ा उसे देने में तुम्हारे दिल पर कोई तंगी और बोझ न होना चाहिए। बोझ या तंगी तो उस वक्त होती जबके तुम्हारी ज़ाती कोई चीज़ तुम से मांगी जाती । (किताबुल् मसाइल २/२०४)

एक सही रिवायत में वारिद है के : एक आदमी जंगल में चला जा रहा था, अचानक उसने बादलों में से आवाज़ सुनी के फुलाँ आदमी के बाग़ की सींचाई कर, तो अचानक बादल का एक टुक़ड़ा अलग हुवा और उसने एक वादी में पानी बरसाया, वादी का सब पानी एक नाले में जमा होकर भरकर चल पड़ा, तो वो आदमी पानी के पीछे पीछे चला, आगे जाकर क्या देखता है के एक आदमी अपने बाग़ में खड़ा हुवा पानी का रुख अपने फावडे से बाग़ की तरफ़ कर रहा है, तो उस शख्स ने उस से पूछा के: ''तुम्हारा क्या नाम है''? उस ने नाम बताया तो ये वही नाम था जिस को उस ने बादल की आवाज़ में सुना था,तो बाग़ वाले ने सुवाल किया के आखिर तुम्हे मेरा नाम पूछने की क्या ज़रूरत पेश आई? उस ने जवाब दिया के ये पानी जिस बादल से बरसा है उस में से मैंने आवाज़ सुनी थी के फुलाँ यानी तुम्हारे बाग की सींचाई करे, लिहाज़ा बताओ तुम इस बागीचे की

आमदनी का क्या करते हो? उस बाग वाले ने जवाब दिया के मैं इस की कुल आमदनी तीन हिस्सों में बांट देता हूँ: एक तिहाई हिस्सा सद्क़ा कर देता हूँ, और एक तिहाई हिस्से में से मैं और मेरे घर वाले खाते हैं, और एक तिहाई हिस्सा फ़िर बाग में लगा देता हूँ। (मुस्लिम शरीफ़ २/४११)(किताबुल् मसाइल२/२०७)

नीज़ एक मुरसल रिवायत में है के नबी स्व. ने इर्शाद फ़रमाया: ज़कात अदा करके अपने अम्वाल की मज़बूत हिफ़ज़त का इनतिंज़ाम करो और सदके के ज़रीये अपने मरीज़ों का इलाज करो,और दुआ व गिर्याह व ज़ारी के ज़रीये आस्मानों के तूफ़ानों का मुक़ाबला करो। इस से साफ़ मालूम हुवा के सदक़ा व खैरात में दारैन का फ़ायदा है।

आख़िरत का नफ़ा

ज़कात व सदक़े के उखरवी मनाफ़ेअ बे शुमार हैं और असल में यही मनाफ़ेअ हमारे पेशे नज़र रहने चाहियें, यहां उखरवी मनाफ़ेअ का खुलासा लिख्खा जाता है।

१) एक रुपये के बदले में सात सौ गुना अठा मुक़र्रर है और इख्लास वगैरा की वजह से उस में ज़्यादती का भी वाअ्दा है। (सुरे बक़रा आयत२६१)

२) ज़कात व सदक़े में खर्च गोया के अल्लाह के साथ तिजारत करना है जिस में किसी नुक़्सान का कोई अंदेशा नही है। (फातिर आयत २९)

३) सदक़ा क़यामत के दिन हमारे लिये हुज्जत बनेगा। (मुस्लिम शरीफ १/११८)

४) ज़कात व सदक़े की एक खजूर(माअमूली हिस्से)को अल्लाह तआला अपने हाथ में लेता है और उस्की उसी तरह परवरिश फ़र्माता है जैसे इन्सान अपनी ऊंटनी के बच्चे की परवरिश करता है ताआंके वोह छोटी सी खजूर अल्लाह तआला के यहां बडे पहाड़ के बराबर तक पहुंच जाती है। (मुस्लिम शरीफ १/३२६)

५) जो शख्स ज़कात व सदक़ा अदा करने वाला होगा उस्को जन्नत के खास दरवाज़े ''बाबुस्सदक़ा'' से दाखिल किया जायेगा। (मुत्तफक़ अलैह मिश्कात शरीफ १/१६७)

६) सात क़िस्म के हज़रात मैदाने महशर में अर्शे खुदावंदी के साये में होंगें। उन्ही में से एक वोह शख्स होगा जो अल्लाह की राह में खुफ़िया खर्च करता होगा, इस तरह के दाहने हाथ से दे तो बायें हाथ को भी खबर न हो। (मुस्लिम शरीफ १/३३१, बुखारी शरीफ १/९१)

७) ये सदक़ा क़यामत के दिन हमारे लिये साइबान होगा। (मिश्कात शरीफ १/१७०) (किताबुल् मसाइल २/२०८)

ज़कात की फरज़ियत

ज़कात की फरज़ियत के लिये ज़रूरी है के आदमी में दर्जे ज़ैल सिफात पाये जायें ।

(१) आज़ाद हो! (गुलाम, बांदी पर ज़कात फर्ज़ नही)

(२) मुसलमान हो! (काफिर से ज़कात का मुतालबा नही)

(३) समझदार हो! (पागल पर ज़कात फर्ज़ नही जबके पागलपन उस पर मुसलसल तारी हो)

(४) बालिग हो! (बच्चे पर ज़कात नही) (आलमगीरी १/१७२)

(५) उसे ज़कात की फरज़ियत का इल्म हो! (ख्वाह हुक्मन् जैसे इस्लामी माहौल में रहने वाला शख्स) (दुर्रे मुख्तार ज़करिया ३/१७४)

शराइते वुजूबे ज़कात

ज़कात फर्ज़ होने के लिये दर्जे ज़ैल शराइत का पाया जाना लाज़िम है।

(१) माल ब क़दरे निसाब हो (मसलन सोने का निसाब २० मिस्काल और चांदी का निसाब दो सौ दिरहम वगैरा।

(२) मिल्कियत ताम हो(लिहाजा जो माल अपने कब्जे में न हो सरे दस्त उस्की ज़कात का मुतालबा नही है।

(३) निसाब (ज़कात फ़र्ज होने के लिए शरीअत की जानिब से मुतअय्यन की हुई मिक़दार)ज़रूरते असली से ज़ाइद हो! (इस्तेअमाली साज़ो सामान पर ज़कात नही है)

(४) निसाब क़र्ज़ से खाली हो (यानी कर्ज की रकम मिनहा (वज़ा) करके निसाब मुकम्मल माना जाये)

(५) माले नामी हो (यानी ऐसा माल जिसमें बढने़ की सलाहियत हो ख्वाह वो अपनी खिल्कत के एतबार से हो । जैसे सोना चांदी या फेली एतबार से हो जैसे माले तिजारत मवेशी वगैरा) (आलमगीरी १ /१७२)

ज़कात की अदाइगी कब वाजिब होती हैं?

अगर निसाब पर एक साल पूरा गुज़र जाये तो उसकी ज़कात की अदाइगी वाजिब हो जाती है। (दुर्रे मुख्तार ज़करिया ३/१८६)

साल के दर्मियान में निसाब घट जाये?

अगर शुरू और अखीर साल में निसाब पूरा था मगर दर्मियान साल में उसकी मिक़दार कम रही तब भी पूरे निसाब की ज़कात वाजिब होगी। (बदाइउस्सनाइअ२/९९)

इज़ाफा शुदा रकम निसाब में शामिल होगी

दौराने साल निसाब में जिस कदर इज़ाफा हुवा उस सब पर अखीर साल में ज़कात वाजिब होगी(यानी जिस दिन साल पूरा हो उस दिन का बॅलन्स देखा जायेगा। और कुल पर ज़कात वाजिब होगी) (मराकियुल फ़लाह ३८९)

ज़कात में क़मरी साल का एतबार है

अदाए ज़कात के वुजूब के लिये कमरी साल का एतबार होगा न के शम्सी साल का। (शामी कराची २/२५९)(हिंदिया १/१७५)

तम्बीहः इस मसअले को अच्छी तरह याद रखने और उसका लिहाज़ रखने की ज़रूरत है। इसलिये के अक्सर सरमायादार(मालदार) हज़रात सहूलत के लिये सरकारी साल की इब्तिदा व इंतिहा(शुरू और आखिर) (मार्च -एप्रील) के एतबार से ज़कात का हिसाब लगाते हैं। और कमरी साल का एतबार नही करते। जिसकी वजह से शरई हिसाब मुकम्मल नही हो पाता। इसलिये ज़कात निकालने वालों पर लाज़िम है के वो चांद के महीने की जिस तारीख से साहिबे निसाब हुये हैं। उसी तारीख को हर साल अपनी ज़कात का हिसाब लगाया करें। (मुरत्तिब)

जकात जल्द अज़ जल्द अदा करनी चाहिये

ज़कात जैसे ही वाजिब हो फौरन अदा करना ज़रूरी है! बिला उज्र ताखीर करने से गुनाहगार होगा, बहोत से सरमायादार(मालदार) हजरात के पास बडी मिकदार में ज़कात का रुपया पडा रहता है, उन्हें जल्द अज़ जल्द इस फर्ज़ से सुबुक्दोश (बरियुज़्ज़िम्मा) हो जाना लाज़िम है। (तहतावी३८८)

जकात में कितना माल दिया जायेगा ?

ज़कात कुल माल का चालीसवाँ हिस्सा (यानी ढाई फीसद) देना ज़रूरी होता है। (तहतावी३८९)

सोने का निसाब

सोने का निसाब अरबी औज़ान के एतबार से २० मिस्काल है, जिस का वज़न तोले के हिसाब से साढे सात तोला। और ग्रॉमों के एतबार से ८७/ग्रॉम ४८०/मिली ग्रॉम होता है। (तन्वीरुल् अबस्वार मअ दुर्रिल् मुख्तार३/२२४)

चांदी का निसाब

चांदी का निसाब अरबी औज़ान(वज़न की जमा) के एतबार से दो सौ दिरहम है, जिसका वज़न तोले के हिसाब से साढे बावन तोला। और ग्रॉमों के एतबार से ६१२/ग्रॉम ३६०/मिली ग्रॉम होता है। (अलमौसूअतुल फ़िकहिय्या३/२६४)

सोना चांदी दोनों निसाब से कम हो?

अगर सोना और चांदी दोनों के ज़ेवरात या अशया(चीज़ें) मिल्कियत में हो, लेकिन किसी एक का निसाब भी पूरा न हो। तो दोनों को मिलाकर कीमत लगाई जायेगी, अगर दोनों की कीमत मिलकर सोने या चांदी के किसी निसाब को पहूंच जाये तो ज़कात वाजिब हो जायेगी! (मसलन आज कल सोने और चांदी की कीमतों में बडा फर्क हो गया है! अब अगर किसी के पास डेढ तोला सोना है और चंद तोले चांदी है। तो दोनों की जब कीमत लगाई जायेगी तो चांदी के एअ्तेबार से निसाब तक पहूंच जायेगी,लिहाज़ा ज़कात वाजिब होगी) (शामी ज़करिया३/२३४)

अगर ज़ेवर के साथ रुपये भी हों?

ज़ेवर के साथ अगर रुपये या सामाने तिजारत मौजूद हो। तो अगरचे ज़ेवर का वज़न निसाब तक न पहूंचता हो, लेकिन सब मिलाकर कीमत चांदी के निसाब तक पहुंच गई तो ज़कात वाजिब हो जायेगी (मसलन २-३/तोला सोना है और साथ में पांच हज़ार रुपये हैं। या माले तिजारत है। तो कुल की कीमत अगर चांदी के निसाब तक पहुंच रही हो तो उस पर ज़कात वाजिब होगी) (हिंदिया१/१७९)

माल तिजारत की नियत से खरीद कर ज़ाती इस्तेमाल में ले आना

अगर कोई माल तिजारत की नियत से खरीदा था। फिर इरादा बदल गया। और उसको ज़ाती इस्तेअमाल में ले आया। तो उसकी ज़कात साकित हो जायेगी। (अल अशबाह वन्नज़ाइर२०६)

खरीदते वक्त तिजारत का पुख्ता इरादा न था

कोई चीज़ इस्तेअमाल के लिये खरीदी, साथ में ये नियत थी के नफा मिलेगा तो बेच दूंगा वरना रख्खे रहूंगा। तो उस पर ज़कात वाजिब नही। (तहतावी३९१)

ब निय्यते तिजारत खरीदे हुए माल पर कब्ज़े से पहले ज़कात

कोइ सामान तिजारत की निय्यत से खरीदा है। मगर अभी कब्ज़ा नही किया तो उस पर ज़कात वाजिब नही होगी। (शामी क़राची२/२६०)

हज के लिये रख्खे हुये रुपयों पर ज़कात

अगर किसी साहिबे निसाब शख्स ने हज की नियत से रुपये जमा कर रख्खे थे। उसी दौरान सालाना ज़कात निकालने का वक्त आगया तो उस पर हज के लिये रख्खी हूई पूरी रकम की ज़कात निकालना भी लाज़िम होगा। (शामी ज़करिया

३/१७९)

हज कमीटी में जमा शुदा रकम पर ज़कात में तफ़सील

अगर किसी शख़्स ने हज के इरादे से हज कमीटी में मुकम्मल रुपये जमा करा दिया था। उसी दौरान उसकी ज़कात के हिसाब का वक्त आगया। तो जमा शुदा रकम में से हवाई जहाज़ का किराया, मुअल्लिम फीस, और दीगर अखराजात निकालकर सऊदी रियाल की शकल में उस आज़िमे हज को जो रकम वापस मिलने वाली है उस पर ज़कात निकालनी ज़रूरी होगी। (मुस्तफ़ाद मसाइले बहिश्ती ज़ेवर ३२२)

तिजारती प्लॉटों और फ्लेटों पर ज़कात

जो प्लॉट या ज़मीन पारोख्त की नियत से खरीदे गये हैं। तो उनकी मौजूदा कीमत पर ज़कात वाजिब होगी। (हिदाया१/२१२)

खरीदे हुये शेअर्स पर ज़कात

किसी कंपनी के शेअर्स अगर खरीद कर रख्खे हुये हैं। तो उनकी मौजूदा कीमत पर ज़कात पार्ज़ होगी! यानी ये नही देखा जायेगा के उन्हे किस कीमत पर खरीदा था, बल्के ये देखा जायेगा के आज उनकी क्या कीमत है, और उसी हिसाब से ज़कात निकाली जायेगी। (इमदादुल् फतावा२/२१)

इन्शूअरंस में जमा शुदा रकम पर ज़कात

कार, दुकान और कारोबार के इन्शूअरंस में जो रकम जमा की जाती है उसकी वापसी हतमी और यकीनी नही होती, इसलिये उस पर ज़कात वाजिब न होगी, अलबत्ता लाइफ इन्शूअरंस(ज़िंदगी का बीमा)की रकम बहर हाल वापस मिलती है, इसलिये उसमें जमा शुदा असल रकम पर मिलने के बाद गुज़िश्ता सालों की ज़कात वाजिब होगी, ये दैने कवी के दर्जे में है, और असल रकम से बढ कर जो रकम मिलने वाली है वो चूंके सूद और हराम है, इसलिये उस पर ज़कात वाजिब नही होती। (दुर्रे मुख्तार ज़करिया३/२३६)

फिक्स डिपॉज़िट रकम पर ज़कात

बाज़ लोग अपनी रुकूमात बँकों में कई सालों के लिये फिक्स डिपॉज़िट करा देते हैं! तो चूंके ये दैने कवी के दर्जे में है। जिस का बाद में मुकर्ररा वक्त पर मिलना यकीनी है, इसलिये उस असल जमा शुदा रकम पर हर साल की ज़कात वाजिब होगी, लेकिन जो रकम बढकर मिलेगी वो कतअन(बिल्कुल) हराम है, उस पर ज़कात वाजिब नही (बल्के उस इज़ाफी रकम को सूदी मसारिफ में ही खर्च करना लाज़िम है) (दुर्रे मुख्तार ज़करिया३/२३६)

ट्रांस्पोर्ट कंपनी की गाडियों पर ज़कात का मसअला

अगर कोई शख्स ट्रांस्पोर्ट का कारोबार करता है और उसकी कारें, बसें, या ट्रक वगैरा किराये पर चलते हैं । तो उन बसों या ट्रकों की माालियत पर ज़कात वाजिब न होगी, बल्के उनसे हासिल होने वाले मनाफे पर हस्बे ज़ाब्ता ज़कात वाजिब होगी। (फ़तावा खानिया१/२५१)

मछली पालन पर ज़कात

मछली पालन के लिये तालाब और उसकी ज़मीन की कीमत पर कोई ज़कात वाजिब नहीं, अलबत्ता जो मछलियों का बीज खरीद करके डाला गया है उस पर साल पूरा होने पर मौजूदा कीमत के अंदाज़े से ज़कात वाजिब होगी। (दुर्रे मुख्तार ज़करिया३/१९८)

मुर्गी फॉर्म की ज़कात

मुर्गी फॉर्म की ज़मीन और इमारत वगैरा की कीमत पर ज़कात वाजिब नही, और उनमें जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं । उनकी दो सूरतें हैं: (१) अगर मुर्गी फॉर्म से अंडे मकसूद हैं । और उन्ही के ज़रीए आमदनी हासिल की जाती है मुर्गियाँ फरोख्त के लिये नही हैं, तो ऐसी सूरत में मुर्गियों की कीमत पर ज़कात वाजिब न होगी, बल्के सिर्फ अंडों से हासिल होने वाली आमदनी पर ज़कात लाज़िम होगी, गोया मुर्गियाँ आलात के दर्जे में हैं! (२) और अगर मुर्गी फॉर्म से महज़ अंडे मकसूद नही, बल्के खुद मुर्गियों और चूज़ों को बेचना मकसूद है तो ऐसी सूरत में साल पूरा होने पर उन मुर्गियों और चुज़ों की कीमत पर ज़कात वाजिब होगी, क्योंके ये खुद माले तिजारत हैं। (शामी ज़करिया३/१८३)

शादी के लिये रख्खे गये ज़ेवरात पर ज़कात

अगर बाप या माँ ने बच्ची या बच्चे की शादी के लिये ज़ेवरात बनाकर रख्खे हैं । और वो अभी बच्चों को हवाले नही किये गये , बल्के अपनी ही मिलकियत में हैं । तो उन की मालियत पर हस्बे ज़ाब्ता ज़कात माँ या बाप पर वाजिब रहेगी, और अगर बच्चों की मिलकियत में दे दिये हैं । तो जब तक वो ना बालिग हैं उन पर ज़कात वाजिब न होगी, और बालिग होने के बाद अगर निसाब वगैरा की शराइत पूरी होती हों तो साल गुज़रने पर उन पर ज़कात का वुजूब होगा। (दुर्रे मुख्तार ज़करिया३/१७४)

मकान बनाने के लिये जमा कर्दा रकम पर ज़कात

किसी शख्स ने मकान बनाने के लिये रकम जमा कर रख्खी थी, उस दर्मियान ज़कात की अदाइगी का वक्त आ गया तो उस पर मज़कूरा जमा शुदा रकम की ज़कात अदा करना भी लाज़िम है। (हाशियतुत्तहतावी देवबंद ७१५)

मुर्गी या मछली फॉर्म में इस्तेमाल होने वाली ख़ुराक पर ज़कात का मसअला

मुर्गी या मछली फॉर्मों में मुर्गियों या मछलियों को खिलाने के लिये जो खुराक इस्तेअमाल की जाती है उस की कीमत पर ज़कात वाजिब नही, क्योंके ये तिजारत की गर्ज से नही खरीदी जाती, बल्के उसकी हैसियत ऐसी ही है जैसे कपडा धोने वालों के लिये साबून और सर्फ वगैरा, के उन में ज़कात वाजिब नही होती। (शामी ज़करिया ३/१८३)

ज़कात के रुपये से मनीऑर्डर पीस या चेक या ड्रॉफ्ट की उजरत देना

ज़कात की रकम से मनीऑर्डर की फीस या चेक या ड्रॉफ्ट की उजरत अदा करना सही नही है, क्योंके उसमें मुस्तहिक पाकीर की तम्लीक नही पाई जाती, बल्के ये बँक या महकमए डाक के अमल की उजरत है (लिहाज़ा जो लोग ज़कात की रकम बज़रिये चेक अदा करते हैं और चेक भुनाते वक्त बँक अपनी वाजिब रकम काट कर मुस्तहिक को अदा करता है । तो जितनी रकम बँक ने काट ली है उसके ब कद्र मालिक की ज़कात अदा न होगी, बल्के उतनी रकम उसे मज़ीद अदा करनी होगी) (तातार खानिया ज़करिया१७/४४२)

दूध फरोख्त करने की नियत से पाली हुई भैंसों का हुक्म

बाज़ शहरों मे लोग तबेले यानी दूध के लिये भैंसों को पालने का काम करते हैं, तो उन भैंसों की कीमत पर ज़कात वाजिब न होगी, बल्के उनसे हासिल शुदा दूध की आमदनी पर ज़कात वाजिब होगी। (तातार खानिया ज़करिया३/१६९)

ईंट के भट्टी की ज़कात का कैसे हिसाब लगाये?

इट के भट्टी में ज़कात का हिसाब इस तरह लगाया जायेगा । के अदाइगी के दिन जितनी इटें कच्ची या पक्की मौजूद हों उनकी कीमत लगाई जाये, और ईंट बनाने के लिये जो मिट्टी खरीद कर लाई गई हो उसकी भी कीमत जोड ली जाये, उसके बाद ढाई पीसद के हिसाब से ज़कात निकालें, अलबत्ता कोयला या लकडी वगैरा जो भट्टी में जलाने के लिये जमा करके रख्खी जाती हैं । उन की कीमत पर ज़कात नही है।

क्योंके ये अशया जल कर खत्म हो जाती हैं बाकी नही रहती हैं। (शामी बैरूत३/१७१)

किस तरह के अमवाल मे ज़कात वाजिब नही हैं?

दर्जे जेल अमवाल(माल की जमा) और असासाजात(अस्बाब सरमाया) में

ज़कात वाजिब नही होती। ख्वाह उनकी कीमत कितनी ही हो।

(१) रहने के घर।

(२) किराये पर उठाये गये मकानात (अलबत्ता उनकी आमदनी पर ज़कात हस्बे ज़ाब्ता वाजिब होगी)

(३) इस्तेअमाली कपडे, चादरें फर्श वगैरा।

(४) घर का साज़ो सामान (फ्रीज, कूलर, वाशिंग मशीन वगैरा)

(५) सवारियां (गाडी, मोटर सायकल वगैरा)

(६) गुलाम बाँदियाँ जो खिदमत पर मामूर हों।

(७) अपनी हिफाज़त के लिये रख्खे गये हथियार।

(८) घर में रख्खा हुवा खाने पीने का ज़खीरा।

(९) सजावट के बर्तन।

(१०) हीरे जवाहिरात(जबके तिजारत के लिये न हों)

(११) मुताले की किताबें।

(१२) सनअत कारों के औज़ार और मशीन, कारखाने, फॅक्टरियाँ, किराये पर चलने वाली बसें और ट्रक और काश्तकार हजरात के ट्रॅक्टर, और आलाते ज़िराअत वगैरा (नीज़ हर ऐसा सामान जो तिजारत की नियत से न खरीदा गया हो) (आलमगीरी१/१७२)

गुज़िश्ता साल की ज़कात की रकम मिन्हा (वजा)करके हिसाब लगाया जाये

अगर किसी शख्स ने एक साल की ज़कात अदा नही की ताआँ के दुसरा साल आगया तो पहले साल जो जकात की रकम वाजिब हुई थी वो चूंके उस्के ज़िम्मे दैन है। इसलिये उस रकम को अलग करके ज़कात का हिसाब लगाया जायेगा, और साबिका वाजिब शुदा रकम बहर हाल अलग से अदा करनी होगी। (दुर्रे मुख्तार मअश्शामी ज़करिया३/१७६)

हुकूकुल्लाह से मुतअल्लिक कौन से मुतालबात मानिये ज़कात नही?

हर ऐसा दैन जिस का तअल्लुक हुकूकुल्लाह से हो। और किसी इन्सान की तरफ से उस का मुतालबा न हो, मसलन नज़र, कफफारात, सदकतुलफित्र! और हज का वुजूब तो उनकी रुकूमात को असल सरमाये से मिन्हा नही किया जायेगा! बल्के अगर उन उमूर के लिये रकम रख्खी हो। और साल पूरा होने का वक्त आजाये तो उस पूरी रकम पर ज़कात वाजिब होगी!(मसलन किसी शख्स

ने हज का इरादा किया है । और रमज़ान मे उस का ज़कात का साल पूरा होता है, और उसने हज के लिये जो रकम जमा कर रख्खी है वो साल पूरा होने के वक्त उसके पास मौजूद रहे तो कुल रकम पर ज़कात फर्ज़ होगी । हज की रकम को मिन्हा नही किया जायेगा) (आलमगीरी १/१७३)

जिस कर्ज के वुसूल की उम्मीद न हो उस की ज़कात वाजिब नहीं

अगर कर्ज लेने वाला कर्ज से इन्कारी हो । और मालिक के पास शरई सुबूत न हो तो ऐसे कर्ज पर ज़कात वाजिब नहीं! अलबत्ता अगर वो दैन बाद में किसी तरह मिल जाये । तो अब हौलाने हौल(साल गुज़रने) के बाद या दीगर निसाब के साथ मिला कर उस्की ज़कात वाजिब होगी, साबिका(पिछले) सालों की ज़कात वाजिब न होगी। (शामी ज़करिया३/१८४)

प्रॉव्हीडंट फंड पर ज़कात

मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में जो जुज़्व जबरन काट कर जमा कर लिया जाता है ''जिसे प्रॉव्हीडंट फंड कहते हैं'' उस पर ज़कात वाजिब नही! उस फंड में से दौराने मुलाज़मत ब तौरे कर्ज अगर रकम निकाल ली जाये फिर भी उसकी ज़कात वाजिब न होगी! अलबत्ता मुलाज़मत खतम होने पर जब ये रकम मुलाज़िम को मिलेगी तो उसके मक्बूज़ा(क़ब्ज़ा किये हुये) माल में शामिल होगी । और आइंदा हस्बे ज़ाब्ता (ज़ाब्ते के मुताबिक) ज़कात वाजिब होगी। (आलमगीरी १/१७४)

नोट: प्रॉव्हीडंट फंड बाज़ सूरतों मे इख्तियारी होता है, यानी कंपनी की तरफ से रकम जमा करना लाज़िम नही होता!बल्के मुलाज़िम के इख्तियार में रहता है, और वो जब चाहे उस इख्तियारी जमा शुदा रकम को निकालकर अपने इस्तेअमाल में ला सकता है, तो ऐसी सूरत में उस इख्तियारी जमा शुदा रकम पर ज़कात वाजिब होगी। (मुरत्तिब)

गुमशुदा माल मिल गया

अगर किसी का कोई सामान गुम हो गया था । या किसी ने छीन लिया था,बाद में वो कई साल बाद उसे मिल गया तो उस पर साबिका सालों की ज़कात वाजिब न होगी। (तबईनुल हक़ाइक़२/२८)

इस्तेअमाली हीरे मोती पर ज़कात वाजिब नही

हीरे और मोती और जवाहिरात जिन को बगर्जे इस्तेअमाल खरीदा है उन पर ज़कात नही है, ख्वाह वो कितने ही कीमती क्यों न हों, अलबत्ता अगर हीरों की तिजारत करता है तो माले तिजारत के एअतेबार से उन की कीमत पर ज़कात वाजिब होगी। (मराक़ियुलफलाह३९१)

पूरा निसाब सदका कर दिया तो ज़िम्नन ज़कात भी अदा हो गई

अगर कोई शख्स किसी निसाब का मालिक हुवा, फिर उसने वो निसाब बिला नियते ज़कात मुकम्मल सदका कर दिया तो उस के ज़िम्मे से उस निसाब का फरीज़ये ज़कात साकित हो गया। (आलमगीरी१/१७१)

पेशगी ज़कात अदा करना

अगर किसी शख्स ने बकद्रे निसाब माल मिल्कियत में आने के बाद हिसाब लगा कर चंद साल की पेशगी ज़कात अदा कर दी तो भी उस की अदाइगी दुरुस्त हो जायेगी!(ताहम अगले सालों में अगर माल बढ जाये तो इसी हिसाब से मज़ीद ज़कात निकालनी होगी) (तहतावी३८९)

माले तिजारत में फरोख्तगी की कीमत का एअतेबार

तिजारती सामान की ज़कात में ये देखा जायेगा के वुजूबे ज़कात के वक्त उसकी बाज़ारी कीमत क्या है? उसी कीमत का हिसाब लगा कर ज़कात अदा की जायेगी, ताजिर की खरीद की कीमत का एअतेबार न होगा!(मसलन किसी ताजिर ने सौ रुपये में सामान खरीदा और दुकान पर ला कर वो नफे के साथ दो सौ रुपये में फरोख्त करता है । तो वो फरोख्तगी की कीमत के एअतेबार से ही ज़कात निकालेगा) (शामी ज़करिया३/२२९)

सोने चांदी में किस कीमत का एअतेबार होगा

सोने चांदी में ज़कात असलन् वज़न के एअतेबार से वाजिब होती है! (मसलन् चालीस ग्रॉम सोने में एक ग्रॉम सोना वाजिब होगा)अब अगर उस्की अदाइगी रुपये के ज़रीए करने का इरादा है तो आअ्ला बात ये है के वाजिब शुदा वज़न का सोना बाज़ार में जितने का मिलता हो उसी एअतेबार से ज़कात निकालें । के इस में फुकरा का नफा ज्यादा है, लेकिन अगर अपने पास मौजूद सोना बाज़ार में जितने का पारोख्त हो उसका एअतेबार करके ज़कात निकालेंगे तो भी फर्ज़ अदा हो जायेगा , क्योंके शरीअत की तरफ से असल मुतालबा उसी सोने चांदी का है जो मिलकियत में फिलवक्त मौजूद है, लिहाज़ा इसी की फरोख्तगी की कीमत मोअतबर होगी (मसलन् बाज़ार में सोने की कीमते खरीद २५ हज़ार रू । फी दस ग्रॉम है । जबके हम अगर अपना सोना बेचना चाहें तो सुनार २३ हज़ार फी दस ग्रॉम के हिसाब से कीमत लगाता है, तो हमारे ऊपर असल ज़कात का वुजूब २३ हज़ार फी दस ग्रॉम के हिसाब ही से होगा, क्योंके यही इसकी असल कीमत है। (मुरत्तिब)(दुर्रे मुख्तार ३/२२७)

इमीटेशन ज्वेलरी पर ज़कात का हुक्म

सोने चांदी के अलावा ज़ेवरात (इमीटेशन ज्वेलरी) अगर ज़ाती इस्तेअमाल

के लिये हों तो इन पर ज़कात वाजिब नही! अलबत्ता अगर कोई शख्स इन ज़ेवरात की तिजारत करता है, तो इन में माले तिजारत होने के एतबार से ज़कात वाजिब होगी। (मसाइले बहिश्ती ज़ेवर३१२)

माले हराम में ज़कात का मसअला

जो माल हराम तरीके (मसलन सूद,रिश्वत या गसब वगैरा के ज़रीए) हासिल किया गया हो वो सब का सब असल मालिक पर लौटाना या गरीबों पर तक्सीम करना ज़रूरी होता है, लिहाज़ा ऐसे माले हराम पर ज़कात का हुक्म नही है, अलबत्ता अगर हलाल और हराम माल मखलूत हो तो ज़कात वाजिब होगी। (शामी ज़करिया३/२१८)

नफा रसानी से ज़कात की अदाइगी नही होगी

ज़कात की अदाइगी के लिये माले मुशख्खस ज़रूरी है, लिहाज़ा किसी शैय के नफा को ज़कात में शुमार नही किया जा सकता, मसलन् किसी शख्स ने अपनी गाडी किसी फकीर को दे दी और उसका बनने वाला किराया ज़कात मे जोड लिया, या मकान रहने को दे दिया और उसके किराये में ज़कात की नियत कर ली तो उस से ज़कात अदा न होगी। (तहतावी३८९)

मुसाफिर गनी का माल रास्ते में ज़ाये हो गया

अगर कोई मुसाफिर अपनी जगह साहिबे हैसियत हो, लेकिन सफर के दौरान उसका माल जाये हो जाये (मसलन जेब वगैरा कट जाये) तो उसके लिये अपने वतन पहुँचने के बकद्र माल बमद्दे ज़कात लेना जाइज़ है, लेकिन इस बहाने से ज़्यादा माल समेटना दुरुस्त न होगा। (तातार खानिया ज़करिया३/२१८)

मालिक का ज़कात के नोट अदल बदल करना

अगर मालिक ने ज़कात की रकम अलग करके रख्खी थी । और अभी फकीर के कब्ज़े में नही दी थी तो वो उस रकम को अदल बदल करने का इख्तियार रखता है! हत्ता के अगर चाहे तो ये रकम दुसरी ज़रूरियात में खर्च कर के उस्की जगह दुसरी रकम रख दे, या दुसरी रकम से ज़कात अदा कर के उस रकम से वुसूल करले इस मे कोइ हर्ज नही है। (शामी ज़करिया३/१८९)

वकील का ज़कात के रुपये तबदील करना

मदरसे का सफीर, या मालिक का वकील अमीन होता है, इसलिये असली बात ये है के ज़कात में हासिल कर्दा असल रकम बिला किसी तबदीली के मदरसा या मुस्तहिक तक पहुंचाये, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो नोट बदलने और तुडाने की भी गुंजाइश है, क्योंके ज़कात में रुपये मुतअय्यन नही होते, बल्के

असल में मालियत मुतअय्यन होती है, उस में कमी नही होनी चाहिए। (शामी ज़करिया३/१८९)

माले ज़कात में उस मकाम की कीमत का एअतेबार है जहाँ माल है

ज़कात की अदाइगी में माले ज़कात की वो कीमत मोअतबर होगी जहाँ माल है। (शामी बैरूत३/१९६)

साल मुकम्मल होने के बाद पूरा माल चोरी या जाये हो जाये ?

किसी शख्स के माल पर साल गुज़रने के बाद ज़कात अदा करने से पहले वो पूरा माल चोरी हो गया या किसी तरीके से जाया हो गया तो ज़कात माफ हो गई। (तातार खानिया ज़करिया ३/२३७)

किस ज़मीन में उश्र (दसवाँ हिस्सा) है । और किस में निस्फे उश्र (बीसवाँ हिस्सा)?

अगर उशरी ज़मीन साल के अक्सर हिस्से में कुदरती आबी वसाइल (बारिश, नदी, चश्मा वगैरा) से सैराब की जाये तो उस में उश्र यानी कुल पैदावार का दसवाँ हिस्सा) वाजिब होता है, और अगर वो ज़मीन मस्नूई आब रसानी के आलात व वसाइल मसलन ट्यूबवेल या खरीदे हुवे पानी (जिस में राज बहाये (नहर की छोटी शाख जो किसी बडी नहर से निकाली जाये) का पानी भी शामिल है) से सैराब की जाये तो उस में निस्फे उशर (यानी कुल पैदावार का बीसवाँ हिस्सा) वाजिब होता है! और फिक्ही इबारात में ''उश्र'' का लफ्ज़ तगलीबन उश्र और निस्फ उश्र दोनों सूरतों में बोला जाता है! (इसलिये आगे आने वाले मसाइल में इस फर्क को मल्हूज़ रख्खा जाये (मुरत्तिब)(जवाहिरुल फिकाह२/२७४)

उश्र व खिराज का मसरफ

उश्र (खॉ दसवाँ हिस्सा हो या बीसवाँ हिस्सा) में इबादत की जिहत पाई जाती है इसी लिये वो सिर्फ मुसलमान पर वाजिब होता है, उस्का मसरफ वही है जो ज़कात का है, उसे रिफाही मसारिफ वगैरा मे नहीं लगाया जा सकता, जब के खिराज का मसरफ आम है, उसे मुसलमानों की तमाम इन्फिरादी व इज्तिमाई ज़रूरियात और मसालेह में खर्च किया जा सकता है। (दुर्रे मुख्तार मअश्शामी ज़करिया६/३४८)

ना बालिग और मजनून की ज़मीन में उश्र

ना बालिग बच्चे और मजनून की ज़मीन की पैदावार पर भी उश्र वाजिब है। (बदाइउस्वनाइअ२/१७३)

मौकूफा ज़मीन की पैदावार में उश्र

वक्फ की ज़मीन में अगर पैदावार हो तो उस में भी उश्र वाजिब है। (अल मुहीतुल बुर्हानी३/२७९)

किराये की ज़मीन पर उश्र कौन अदा करे?

अगर किसी शख्स ने अपनी ज़मीन किराये पर उठा रख्खी है और उस में किराये दार काश्त करता है, तो ऐसी सूरत में इमाम अबू हनीफा रह. के नज़दीक मालिके ज़मीन किराये से हासिल कर्दा रकम में से उश्र निकालेगा, किरायेदार पर उश्र न होगा और साहिबैन रह. के नज़दीक उश्र का ज़िम्मेदार किरायेदार है, और मौजूदा ज़माने में चूंके किराये का तनासुब पैदावार से उमूमन बहुत कम होता है इसलिये फतवा साहिबैन रह. के कौल पर है, शामी की बहस से इसी की ताईद होती है। (बहिश्ती ज़ेवर अखतरी३/३०)

बटाई की ज़मीन पर उश्र

जो ज़मीन बटाई पर दे रख्खी है उस की पैदावार में हर शरीक पर उस्के हिस्से में से उश्र वाजिब होगा। (बहिश्ती ज़ेवर३/३०)

खेती के अखराजात को पैदावार से मिन्हा नही किया जायेगा

खेती की तैय्यारी में जो अखराजात होते हैं (मसलन आब रसानी, मज़दूरी, खाद वगैरा) उन्हें आमदनी से मिन्हा नही किया जायेगा, बल्के मजमूई पैदावार में उश्र निकालना ज़रूरी होगा। (तातार खानिया ज़करिया३/२७७)

उश्र निकालने से कब्ल गल्ला इस्तेअमाल न किया जाये

पैदावार मे सब से पहले उश्र निकालकर अलग करना चाहिये उस के बाद ही पैदावार को इस्तेअमाल करना चाहिये, और जो पैदावार फरोख्त की गई हो उस की कीमत से अव्वलन् दस फीसद हिस्सा उश्र का अलग करके इस्तेअमाल होना चाहिये । और जो गल्ला पहले इस्तेअमाल कर लिया गया तो हिसाब लगा कर उस की कीमत का दसवां हिस्सा सदका किया जाये। (अलमुहीतुल बुर्हानी३/२८९)

उश्र कुल पैदावार पर वाजिब है

इमाम अबू हनीफा रह. के नज़दीक उश्र कुल पैदावार और हर तरह की पैदावार पर वाजिब होता है, ख्वाह उस की मिकदार कम हो या ज़्यादा, यानी उश्र के वुजूब के लिये कोई निसाब मुकर्रर नही है। (अल मुहीतुल बुर्हानी३/२७५)

नोट: शामी ज़करिया ३/२६५ की एक इबारत से कम अज़ कम एक साअ या निस्फ साअ पैदावार की शर्त मालूम होती है, लेकिन आम फिक्ही किताबों में

अहकर को ये कैद इमाम अबू हनीफा रह. के कौल में नही मिली। (मुरत्तिब)

साल में मुतअद्दद पैदावारों का हुक्म

अगर किसी ज़मीन में साल में कई फस्लें होती हों तो हर फस्ल से उशर लिया जायेगा। (बदाइउस्वनाइअ ज़करिया२/१८४)

सब्ज़ियों में उशर

इमाम अबू हनीफा रह. के नज़दीक सब्ज़ियों और तरकारियों पर भी उशर वाजिब है, लिहाज़ा जब जितनी सब्ज़ियां खेत से काटी जाये उन का दसवाँ हिस्सा राहे खुदा में खर्च के लिये अलग निकाला जाये। (शामी बैरूत३/२४१)

बांस में उश्र का हुक्म

अगर बांस खूदरौ है तो उस में उशर वाजिब नहीं है! और अगर बा कायदा उस्के लगाने का एहतिमाम किया गया है तो उश्र वाजिब है। (दुर्रे मुख्तार ज़करिया३/२६८)

गन्ने की पैदावार में उश्र

जिस खेत में गन्ने की बा कायदा खेती की जाये तो कुल पैदावार में उश्र वाजिब होगा। (हिंदिया१/१८६)

उशरी ज़मीन में पाये जाने वाले शहद का हुक्म

जो शहद के छत्ते उशरी ज़मीन में दस्तयाब हों उन में उश्र वाजिब है, ख्वाह उस की मिकदार कम हो ज़्यादा (हिंदिया१/१८६)

घर में लगे हुये दरख्तों के फल पर उश्र नही

अगर किसी शख्स ने अपने वसीअ घर के सहन मे फल दार दरख्त या सब्ज़ियां वगैरा बो रख्खी हैं तो उन की पैदावार पर उश्र नही है। (अलमुहीतुलबुर्हानी३/२७३)

सब्ज़ियों के बीज में उश्र नही

खर्बूज़ा, ककडी और तर्बूज़ वगैरा के बीज में उशर वाजिब नही, बल्के सिर्फ उन के फल में उशर है। (अलमुहीतुलबुर्हानी३/२७३)

जकात की अदाइगी के लिये नियत ज़रूरी हैं

फकीर को ज़कात देते वक्त, या वकील को सुपुर्द करते वक्त, या कुल माल से अलग करते वक्त ज़कात की निय्यत ज़रूरी है। (मराकियुल फलाह३८९)

अगर अदाइगी के वक्त ज़कात की नियत नही की

अगर देते वक्त जकात की नियत नही की । और बाद में नियत की । और

ज़कात का माल बिऐनिही फकीर के कब्ज़े मे है। अभी उसने खर्च नही किया। तो ज़कात अदा हो जायेगी, और अगर फकीर के पास माल खर्च हो जाने या ज़ाया हो जाने के बाद ज़कात की नियत की तो उस से ज़कात अदा न होगी। (तातार खानिया३/१९८)

माल दिये बगैर ज़कात का वकील बनाना

अगर किसी को ज़कात अदा करने का हुक्म दिया और अभी माल नही दिया, बल्के कहा के आप मेरी तरफ से ज़कात अदा करदें तो उस्के अदा करने से भी ज़कात अदा हो जायेगी। (शामी ज़करिया३/१८९)

वकील दुसरे को वकील बना सकता हैं

अगर एक शख्स को मालिक ने अदाए ज़कात का वकील बनाया उस ने मालिक की इजाज़त के बगैर दूसरे को वकील बना दिया तो भी जाइज़ है। (शामी ज़करिया३/१८९)

ज़कात के मुस्तहिक कौन लोग हैं?

ज़कात दर्जे ज़ेल लोगों को दी जा सकती है:

(१) फुकरा (जिनके पास निसाब के बकद्र माल न हो)

(२) मसाकीन (जो किसी भी माल के मालिक न हों)

(३) इस्लामी हुकूमत के वो कारिंदे जो ज़कात व उश्र की वुसूली पर मुकर्रर होते हैं

(४) ऐसे गुलाम जो अपनी आज़ादी के लिये मदद के तालिब हों

(५) ऐसे कर्जदार जिनको कर्ज से सुबुक्दोशी के लिये ज़कात दी जाये, जबके उन के पास अपनी ज़ाती मालियत कर्ज की अदाइगी के लिये बाकी न हो

(६) वो गाज़ियाने इस्लाम और मुजाहिदीन जो अपनी माली बे सरो सामानी की वज्ह से इस्लामी लश्कर से बिछड गये हों!(गोया जिहाद करने के लिये ज़कात की रकम से मुजाहिदीन की मदद की जा सकती है)

(७) वो मुसाफिर जो सफर के दौरान ज़रूरत मंद हो जाये!(अगरचे अपने वतन में माल व सरुवत वाले हों और घर से फौरी तौर पर माल मंगाना मुश्किल हो) (मराकियुल फलाह मअत्तहतावी३९२)

ज़कात में एक फकीर को ब एक वक्त कम अज़ कम कितना माल दिया जाये?

ब एक वक्त एक फकीर को इतनी मिक्दार देना मुस्तहब है के वो दिन भर किसी से सवाल करने का मोहताज न रहे, और वो मिक्दार उस के लिये और

उस के अहलो अयाल के लिये काफी हो। (हिंदिया१/१८८)

एक फकीर को ब एक वक्त मुकम्मल निसाब का मालिक बनाना मकरूह है

एक फकीर को यक मुश्त इतना माल देना के वो साहिबे निसाब हो जाये बेहतर नही है, अलबत्ता अगर वो मकरूज़ हो और कर्ज की अदाइगी के लिये बडी रकम दी तो हर्ज नहीं। (तातार खानिया ज़करिया३/२२१)

ज़रूरी तम्बीह: बाज़ सरमायादार इस मसअले से गलत फ़ायदा उठाते हैं । के बसा औकात उन पर कारोबारी या हुकूमत का कर्ज इतना ज़्यादा हो जाता है के उन के असल सरमाया से बढ जाता है । तो वो लोगों के पास जाकर ये कहते हैं के हम मकरूज़ होने की वज्ह से मुस्तहिक्के ज़कात हो गये, इस लिये ज़कात के माल से हमें कर्ज की अदाइगी में तआवुन दिया जाये । इस तरह वो लाखों रुपये का मुतालबा रखते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिये के वो पहले अपनी ज़ाती मालियत (जायदाद गाडियां वगैरा) फरोख्त करके अपना कर्ज अदा करें, और उस के बाद भी कर्ज अदा न हो तो अब तआवुन का मुतालबा करें, इस से पहले उन का अपने को ज़कात का मुस्तहिक कहना गरीबों की सख्त हक तल्फी है!

करीबी रिश्तेदारों का हक

करीबी रिश्तेदार (जिन में विलादत और ज़ौजियत का रिश्ता न हो) ज़कात के अहम मुस्तहिकीन में से हैं, उन को ज़कात देने में दुगना सवाब मिलता है, एक ज़कात का दुसरा सिला रहमी और कराबत का। (वाज़ेह रहे के बाप, दादा, औलाद और शोहर बीवी के अलावा बकिया सब ज़रूरत मंद रिश्तेदारों, मसलन भाई, बहन, चचा, फूफी, मामू, और भांजे वगैरा को ज़कात देना शर्अन दुरुस्त है, बल्के अफ्जल है) (तिर्मिज़ी शरीफ१/१४२)

गरीब भाई बहन को ज़कात देना

गरीब भाई बहन को ज़कात देना न सिर्फ जाइज़ है, बल्के उस में दोहरा सवाब है, एक ज़कात का दुसरा सिला रहमी का। (मजमउल अनहुर१/२२६)

सौतेली माँ, बहू या दामाद को ज़कात देना

आदमी अपनी सौतेली माँ, बहू (बेटे की बीवी) या दामाद (बीटी के शोहर) को ज़कात दे सकता है, जबके वो मुस्तहिके ज़कात हों। (शामी ज़करिया३/२९३)

घर के खादिमों को ज़कात देना

घर में काम करने वाले गरीब मुलाज़िमीन को उन की तनख्वाहों के अलावा इनआम के तौर पर किसी खूशी के मोके पर जो कुछ दिया जाता है, उस में

ज़कात की रुकूमात को सर्फ करना दुरुस्त है। (आलमगीरी१/१९०)

ईदी के उनवान से ज़कात

ईदी के उनवान से मुस्तहिके ज़कात हजरात को ज़कात की रकम देने से भी ज़कात अदा हो जाती है। (दुर्रे मुख्तार३/३०७)

ज़कात को हिबा या कर्ज कह कर देना

ज़कात की नियत से हिबा या कर्ज के नाम से रुपये दिये तो भी ज़कात अदा हो जायेगी(यानी फकीर को ये बताना ज़रूरी नही है के ये ज़कात की रकम है) (मराक़ियुल पालाह३९०)

समझदार बच्चे को ज़कात देना

अगर फकीर समझदार बच्चे को ज़कात दी या कपडे पहनाये तो ज़कात अदा हो जायेगी। (तातार खानिया३/२११)

मालदार औलाद के तंग दस्त बाप को ज़कात देना

अगर कोई बाप फकीर और मोहताज हो और उस की औलाद मालदार और साहिबे निसाब हो तो ज़कात की मद से उस शख्स की इमदाद जाइज़ है,क्योंके औलाद की मालदारी की वज्ह से बाप को मालदार नही समझा जायेगा। (हिंदिया१/१८९)

गरीब की शादी में ज़कात खर्च करना

असल मसअला तो यही है के जो शख्स गरीब और फकीर हो उसे ज़कात देना दुरुस्त है, लेकिन आज कल गरीब बच्चियों की शादी के नाम पर जो बा कायदा चंदा किया जाता है । उस में ये शरई खराबी पेश आती है । के अव्वलन दो एक असहाबे खैर के तआवुन से निसाब के बकद्र रकम जमा हो जाती है, लेकिन वाही तबाही रुसूमात और लंबी चौडी दावतों के इंतेज़ाम के लिये मज़ीद रकम का सुवाल जारी रहता है, तो अच्छी तरह समझ लेना चाहिये के ब कद्रे निसाब माल हासिल होने के बाद मज़ीद ज़कात की रकम लेना हर्गिज़ जाइज़ नही है, और देने वाले को अगर असल सूरते हाल मालूम हो तो उस के लिये देना भी दुरुस्त नही है। (फतावा महमूदिया डाभेल९/५२९)

इस लिये ऐसी जगहों पर अगर खर्च ना गुज़ीर हो तो इमदादी रकम से तआवुन किया जाये, ज़कात न दी जाये अहवत यही है। (दुर्रे मुख्तार ज़करिया३/३०६)

ज़कात की रकम से किताबें तक्सीम करना

ज़कात की रकम से तलबा को किताबें तक्सीम करना जाइज़ है, ब शर्ते के वो तलबा बा शुऊर और मुस्तहिके ज़कात हों(लिहाज़ा बहुत ना समझ बच्चों या

मालदार बच्चों को देने से ज़कात अदा न होगी) (दुर्रे मुख्तार बैरूत३/१९५)

ज़कात की रकम से गरीबों के कपडे बनाना

ज़कात की रकम से गरीब मुस्तहिकीन को कपडे वगैरा बना कर देना जाइज़ है। (अलबहरुर्राइक२/४२४)

ज़कात की रकम से बने हुये फ्लॅट गरीबों को अलॉट करना

ज़कात की रकम से फ्लॅट और मकानात तामीर करके उन्हें गरीबों में ब तौरे मिल्कियत तक्सीम करना । और उन्हें रजिस्ट्री करके खूद मुख्तार मालिक बनाना दुरुस्त है, उस से मालिकान की ज़कात अदा हो जायेगी । (दुर्रे मुख्तार बैरूत३/१९५)

फकीर शख्स का ज़कात ले कर मालदार पर खर्च करना

अगर किसी फकीर मुस्तहिके ज़कात शख्स को ज़कात की रकम मिली फिर उसने वो रकम अपनी खूशी से किसी मालदार या गैर मुस्तहिके ज़कात शख्स पर खर्च कर दी या कारे खैर में सर्फ कर दी, तो उस मे कोई हर्ज नही। (बुखारी शरीफ़१/२०२)

रीलीफ में ज़कात की रकम सर्फा करना

सैलाब या आपााते समाविया से दोचार बेकस और गरीब लोगों पर ज़कात की रकम तम्लीकन सर्फ करना जाइज़ है (लेकिन जो लोग मुस्तहिके ज़कात न हों उन पर ज़कात की रकम सर्फ नही की जायेगी) । (दुर्रे मुख्तार३/३८३)

ज़कात की रकम से फसादजदगान की इमदाद

अगर किसी इलाके में फसाद पौल जाये तो जो लोग फसाद से मुतअस्सिर हो कर बे घर और बे बस हो गये हों उन की इमदाद में ज़कात की रुकूमात सर्फ करना जाइज़ है, बल्के ऐसी मुसीबतज़दाह लोग ज़कात के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। (किताबुल फ़तावा३/३०४)

कैदियों की रिहाई के लिये ज़कात की रकम का इस्तेअ्माल

बे कुसूर ना दार मुसलमान कैदियों की रिहाई के लिये उन की तरफ से इसालतन या वकालतन कब्ज़ा करने के बाद उन की इजाज़त से ज़कात की रुकूमात का इस्तेमाल जाइज़ है। (मुस्तफ़ाद फ़तावा महमूदिया १४/२४०-२४४)

मकरूज़ को ज़कात देना

जो शख्स फकीर और मकरूज़ हो उस को ज़कात देना अफ्ज़ल है, क्योंके वो निस्बतन ज़्यादा मोहताज है। (दुर्रे मुख्तार मअश्शामी ज़करिया३/२८९)

किन लोगों को ज़कात देना जाइज़ नहीं?

दर्जे जैल लोगों को ज़कात देना दुरुस्त नहीं है:

(१) बाप,दादा,परदादा,नाना,परनाना। इसी तरह दादी,नानी,वगैरा(अखीर तक)

(२) लडके , लडकियाँ, पोते , नवासे, पोतियाँ, नवासियाँ(अखीर तक)

(३) बीवी और शोहर

(४) गुलाम बांदी

(५) काफ़िर

(६) साहिबे निसाब मालदार

(७) साहिबे निसाब मालदार के गुलाम बांदी

(८) मालदार का छोटा बच्चा

(९) सादात (बनू हाशिम आले अली, आले अब्बास वगैरा)

(१०) बनू हाशिम के आज़ाद कर्दा गुलाम बांदी(मराक़ियुल फ़लाह३९३)

ज़कात की रकम से तब्लीगी जमाअत में जाना

कोई शख्स अपनी ज़ाती ज़कात की रकम से तब्लीगी जमाअत या किसी भी दीनी सफर में नहीं जा सकता (अलबत्ता किसी गरीब मुस्तहिक शख्स को ज़कात की रकम मिली और वो उस के ज़रीये जमाअत में चला जाये तो उस में कोई हर्ज नही है)। (हिंदिया१/१७०)

उसूल व फुरूअ को ज़कात देना

अपने बाप, दादा, लडकों और पोतों को ज़कात देने से फर्ज़ अदा न होगा। (अदुर्रुल मुख्तार २/१७३)

बीवी शोहर को और शोहर बीवी को ज़कात नही दे सकता

बीवी शोहर को ज़कात नही दे सकती और शोहर बीवी को ज़कात नही दे सकता। (तातार खानिया ज़करिया ३/२०७)

काफिर को ज़कात देना जाइज़ नही हैं

ज़कात का रुपया किसी काफिर पर सर्फ़ (खर्च) करना जाइज़ नही है। (बदाइउस्सनाइअ२/१६१)

पागल और ना समझ बच्चा ज़कात का मसरफ नहीं

पागल और ना समझ बच्चे को ज़कात देने से ज़कात अदा न होगी, अलबत्ता अगर उन का वली उन की तरफ से कब्ज़ा कर ले तो ज़कात दुरुस्त हो जायेगी। (अल् मुहीतुल् बुरहानी३/२१४)

ज़कात की अदाइगी के लिये तम्लीक ज़रूरी हैं

ज़कात की अदाइगी के लिये फकीर को बा कायदा मालिक व काबिज़ बनाना शर्त है, तम्लीक के बगैर ज़कात अदा न होगी। (अल मुहीतुल बुरहानी३/२१४)

ज़कात की रकम मस्जिद वगैरा में नही लग सकती

ज़कात की रक़म ब राहे रास्त मस्जिद वगैरा की तामीर और उस्की ज़रूरियात में सर्फ करना दुरुस्त नहीं है। (हिंदिया१/२०५)

रिफाही और मफादे आम्मा के कामों में ज़कात लगाना जाइज़ नही

रिफाही ज़रूरियात मसलन् रास्तों, पुलों और पानी की टँकियों, शिपा खानों वगैरा की तामीर में ज़कात का रुपया लगाना दुरुस्त नही है, उन जगहों पर सर्फ करने से ज़कात अदा न होगी। (तातार खानिया ज़करिया ३/२०८)

ज़कात के माल से मय्यित की तजहीज़ व तक्फीन

मय्यित की तजहीज़ व तक्फीन में ब राहे रास्त ज़कात का रुपया लगाना जाइज़ नही है (अलबत्ता अगर सख्त ज़रूरत हो तो किसी गरीब मुस्तहिक को ज़कात की रकम दे दी जाये फिर वो अपनी तरफ से तजहीज़ व तक्फीन में लगा दे तो ऐसा करना दुरुस्त होगा) (हिंदिया१/१८८)

ज़कात से मय्यित का कर्ज अदा करना

मय्यित मकरूज़ का कर्ज ज़कात की रकम से अदा करना जाइज़ नही है, क्योंके उस में तम्लीक नही पाई जाती! (अलबत्ता मज़कूरा हीला यहां भी इख्तियार किया जा सकता है। (मुरत्तिब) (हिंदिया१/१८८)

ज़कात के माल से फुकरा की दावत

अगर मुस्तहिक फुकरा को एक जगह बिठाकर खाना खिला दिया तो उस से ज़कात अदा न होगी, उन को खाने का मालिक बनाना ज़रूरी है! (बाज़ मदारिस में यक जा बिठाकर तलबा को खाना खिलाने का रिवाज है, तो मुंतज़िमीन को चाहिये के वो ज़कात की रकम तम्लीक करके खाने में खर्च किया करें, वर्ना ज़कात अदा न होगी) (अलबहरुर्राइक कोइटा२/२०१)

रिफाही हॉस्पिटल में ज़कात की रकम सर्फा करना

हॉस्पिटल की तामीर में ज़कात की रकम लगाना जाइज़ नही है, अलबत्ता ज़कात की रकम से दवाएं खरीद कर गुरबा और मुस्तहिक लोगों को देना शर्अन दुरुस्त है, लेकिन गैर मुस्तहिक लोगों को ज़कात की रकम से खरीदी गई दवाएं देने से ज़कात अदा न होगी। (दुर्रे मुख्तार मअश्शामी बैरूत३/२६३)

मदारिस मे ज़कात देने में दोहरा सवाब

मदारिस मे ज़कात खर्च करने में दोहरा सवाब मिलेगा । एक ज़कात की अदाइगी का दूसरे इल्म की इशाअत और दीन के तहफ्फुज़ का। (आलमगीरी १/१८७)

मकरूज़ के कर्ज को माफ करने से ज़कात अदा न होगी

मकरूज़ को कर्ज से बरी करने से ज़कात अदा न होगी, अलबत्ता अगर किसी ने मकरूज़ को ज़कात की रकम दी फिर उस से अपना कर्ज वुसूल कर लिया तो ये दुरुस्त है। (तहतावी३९०)

ज़कात की रकम हज में लगाना

कोई शख्स अपनी ज़ाती ज़कात की रकम खुद अपने हज्जे फर्ज़ या नफ्ल में खर्च नही कर सकता, उस से उसकी ज़कात अदा न होगी (अलबत्ता किसी गरीब मुस्तहिक शख्स को ज़कात की रकम अदा की और वो उस रकम से हज को चला जाये तो उस की इजाज़त है) (हिंदिया१/१८८)

माल ज़्यादा समझ कर ज़्यादा ज़कात अदा कर दी

अगर किसी शख्स ने माल का हिसाब लगाया, उस के बाद ज़कात अदा कर दी, फिर दोबारा हिसाब लगाया तो माल कम निकला, तो ज़ाइद ज़कात को आइंदा साल की ज़कात मे शुमार करना दुरुस्त है। (फ़तावा क़ाज़ी खान अला हामिशिल हिंदिया१/२६३)

ज़कात एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करना

बेहतर है के हर शहर वाले अपनी ज़कात अपने शहर के फुकरा व मुस्तहिकीन पर सर्फ करें, लेकिन अगर दुसरी जगह के लोग ज़्यादा मुस्तहिक हों तो दुसरी जगह ज़कात की रकम भेजने में भी कोई हर्ज नहीं है, मसलन बहुत से रिश्तेदार ज़रूरतमंद दूसरे शहर में रहते हों, या बहुत से मदारिस ऐसे पसमांदा इलाकों में वाकेअ हैं जहाँ तआवुन करना दीन की बका के लिये ज़रूरी है तो वहां ज़कात की रकम भेजना न सिर्फ जाइज़ बल्के ज़्यादा सवाब का बाइस है। (हिंदिया१/२०८)

ज़कात की रकम चोरी हो गई

अगर ज़कात की रकम अलग करके रख्खी हुई थी । और वो चोरी हो गई । या किसी और तरह ज़ाया हो गई, तो ज़कात अदा नही हुई दोबारा अदा की जाये, इसलिये के मसरफ पर खर्च नही हुई, और तम्लीक नही पाई गई। (अल बहरुर्राइक कराची२/२१८)

जामिया के कवानीने दाखला

१) जामिया में दाखिल होनेवाले तालिबे ईल्म की उम्र तक्रीबन १२ साल होना ज़रूरी है, वरना दाखला नहीं हो सकेगा, २) तालिबे ईल्म का स्कुल सर्टीफिकेट, जन्म दाखला, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान कार्ड का झेरॉक्स दाखले के लिए ज़रूरी होगा ३) तालिबे इल्म और उसके वाली की पासपोर्ट साईज़ नयी (हाल की) तस्वीर तीन तीन अदद लाना ज़रूरी है ४) जामिया में दाखले का ख्वॉहिशमंद तालिबे इल्म, अगर किसी कानुनी केस में मुलव्विस हो, या उसके नाम का वारंट या उसके खिलाफ कोई कानुनी या अदालती कार्रवाई हो तो, दाखले से पहले उसकी इत्तिला जामिया को दे दें, वरना उसकी बु और आहट महसुस होते ही उसका फौरन जामिया से इखराज कर दिया जाएगा, और हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में किसी भी कार्रवाई पर जामिया आपका तआवुन नहीं कर सकेगा ५) जामिया की तरफसे मुकर्रर करदाह युनीफार्म (सफेद शरई लिबास) की पाबंदी ज़रुरी है, नीज़ जुमा के दिन और छुट्टीयों के औकात में भी उसका खयाल रखें ६) लिखने पढने और रहने सहने के लिए तमाम ज़रुरियात के समाान तालिबे इल्म को खुद लाना होगा, मसलन ३ जोडे सफेद कपडे, पेटी, बिस्तर, बालटी, स्वीटर, चप्पल, साबुन, नोटबुक कलम पेन वगैराह ७) अपने अहबाब और रिश्तेदारौंसे मुलाकात का वक्त, अस्र ता मगरिब, या जुमा का दिन होगा ८) अगर तालिबे इल्म बग़ैर इजाज़त जामिया की चार दिवारी से कहीं भाग जाए, या घर चला जाए या इसी तरह कोई तालिब इल्म किसी हादसे या नागहानी आफात का शिकार हो जाये तो उसकी जिम्मेदारी जामिया पर आईद न होगी और न ही आपको कानूनी चारा जोई की ईजाज़त होगी। ९) अगर कोई तालिबे इल्म जामिया में तक्मीले तालीम के बाद या दौराने तालीम जामिया से निकल जाए और हुकुमत की तरफसे किसी ममनुआ तन्ज़ीम व पार्टी में शामिल होकर किसी वारिदात व फसादात का ज़िम्मेदार व मुलव्विस करार दिया जाये तो न उन फसादात का और न उस तालिबे इल्म का जामिया से किसी किस्म का कोई तअल्लुक होगा, न जामिया उनका ज़िम्मेदार होगा १०) जामिया में सालाना (रमज़ानुल मुबारक, इदुल अज़हा और शशमाही) की छुट्टी रहती है, इस के इलावा जामिया में किसी किस्म की छुट्टी नही होगी वालिदान और तलबा अपने तमाम जरुरियात इन्ही छुट्टीयोंमें पुरी करेलें ताके बादमें तालिमी नुकसान न हो ११) रुख्सत या बीमारी की दरख्वास्त दफ्तर में बिला वास्ता खुद पहुंचाएं, दरख्वास्त की मंजुरी सख्त जरुरत के बिनापर हस्बे सवाबे दीद होगी, निज़ जामिया की चारदिवारी के बाहर जाने के लिये भी इजाज़त लेनी जरुरी होगी १२) जामिया में तातीलात की इत्तिला जामिया के नोटिस बोर्डपर दी जाती है, वाली हज़रात के लिए ज़रूरी है के वो तलबा से या दफ्तरे जामिया से छुट्टी की तारीख मालुम कर लें और वक्त पर पहुंच कर खुद अपने ज़ेरे सरपरस्त तालिबे इल्म को ले

जाएं या जिन लोगौं के ज़रीए तालिबे इल्म को घर बुलाना चाहें तो उनकी शनाख्त और इत्तिला देनी ज़रुरी होगी, और अगर आप वक्त पर न पहुंच सके, और तालिबे इल्म अपने दोस्तौं या अपने रिश्तेदार के घर या किसी अंजान व नामालुम शख्स के साथ कहीं चला जाए तो जामिया उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा १३) हर वह चीज़ जो तालिबे इल्म की इल्मी व अमली व अखलाकी तनज़्ज़ुली का सबब हो, मसलन मोबाईल, मेंमरी कार्ड, MP3, आयपॅड वैगरा उसके पास पाए जाने से फौरी तौर पर ज़ाये कर दिये जायेंगे वापस नही दिये जायेंगे १४) रेडिओ, टेप, कॅसेट, सिडी, MP3, I-Pod, कॅमेरा, मोबाईल, गेम और तसावीर, जो शरअन व कानुनन ममनुअ हैं, उनको लाना और अपने पास रखना ना काबिले अफ्व जुर्म शुमार होगा, और आपका यह जुर्म इखराज भी करा सकता है १५) पान, तंबाखु, गुटखा, बीडी, सिगरेट व दीगर सेहत के लिए मुज़िर व नशा आवर अशिया का इस्तेमाल जामिया से अलाहिदगी व दूरी का ज़रिया बनेगा १६) वाली के लिए ज़रूरी होगा के जब भी आपको मुहतमिमे जामिया बुलायें तो फौरन जामिया आना होगा १७) महीने में एक मर्तबा अपने ज़ेरे सरपरस्त की तालीमी व अखलाकी कैफियत की खबर लेते रहना होगा १८) जामिया की तातीलात खत्म होने या रुखसते इत्तिफाकी के इख्तिताम पर उसी दिन जामिआ में हाज़िरी ज़रूरी होगी, देर से आनेवाले तलबा को दाखले से महरूम कर दिया जाएगा १९) सिनेमा बिनी, गाना बजाना, मुसीकी, फिल्मी बातौं और मजलिसौं, फुहश किताबौं व रिसालौं से बिल कुल्लिया इज्तिनाब करना होगा, यह बदतरीन जराईम आपका इखराज भी करा सकते हैं २०) अगर किसी तालिबे इल्म का जामिया से इखराज हो गया है, तो जामिया के किसी भी तालिबे इल्म को जाईज नही होगा के उस इखराज शुदा तालिबे इल्म को अपना मेहमान बनाकर दारूल इकामा में रखें या उससे किसी किस्म के दोस्ताना तअल्लुकात रखें २१) मज़कुरा बाला कवानीन पर जामिया के हर तालिबे इल्म की पाबंदी ज़रुरी होगी, उनमें से एक भी कानुन की खिलाफ वर्ज़ी करने वाले तालिबे इल्म के मुतअल्लिक मुहतमिमे जामिया जो इक्दाम मुनासिब समझेंगे अमल में लायेंगे जिस में तालिबे इल्म का इखराज भी शामिल है ४२) कवानीने मज़कुरा के इलावा तालीबे इल्म की इल्मी अमली व अखलाकी तरक्की के लिये मौका ब मौका नोटिस बोर्ड के ज़रीए जो कवानीन अमल में आयेंगे उसपर अमल करना हर तालिबे इल्म का अखलाकी फरीज़ा है ।

जामिया खैरुल उलूम, असादाबाद, उदगांव.